(12)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Border Roads Development Board)

New Delhi, the 16th October, 2002

G. S. R. 435.—In exercise of the powers conferred by the provisio to article 309 of the Constitution and in supersession of the General Central Service, Senior Personal Assistant Group 'B' (Gazetted) Recruitment Rules, 1992, expect as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Personal Assistant in the Ministry of Road Transport and Highways, Border Roads Organisation, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Border Roads Organisation (Senior Personal Assistant) Recruitment Rules, 2002.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 **Number of posts, its classification and the scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these Rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:**—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection Post or Non-Selection Post
1	2	3	4	5
1. Senior Personal Assistant PS	15* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted, Ministerial	Rs. 6500-200-10500	Selection

Age limit for Direct Recuits	Whether benefit of added years of service admissible under Section 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for Direct Recruits
6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(X) Amended vide GSR II 97 dt 19-2-2009

(11)

Whether age and Educational Qualification prescribed for Direct Recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10	11
Not applicable	Not applicable	(X) By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption, grades from be which promotion/deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion : Stenographer Grade-I in the Pay Scale of Rs. 5500-175-9000 with three years regular service in the grade. **Note 1 :**—For existing incumbents holding the post of Stenographer Grade-I on regular basis, on the date of Notification of these rules, Two years regular service in the grade. **Note 2 :**—Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying religibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **On Deputation :—** Officers under Central Government (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3 years regular service in the Pay scale of Rs. 5500-175-9000 or equivalent. (X) "(ii) with 5 years service in the pay scale of Rs. grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre/department." (b) Possessing a speed of 100 words per minute in Stenography (Hindi & English). **Note 1 :**—The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation, including period of depuation spent on any other Ex-Cadre post held immediately preceeding this appointment in any other Central/State Government Department, shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed. 56 years as on the closing date of receipt of application).	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of : 1. Secretary Border Roads Development Board—Chairman 2. Deputy Director General (Pers) Directorate General Border Roads—Member 3. Director/Deputy Secretary, Border Roads Development Board—Member	Consultation with UPSC is not necessary.

Note :—The principal rules. were published on 17-10-1992 in the Gazette of India Part-II, Section 3, Sub-section (i) as G.S.R. 471 dated 21-9-1992.

[F. No. BRDB/01/63/2001/G.E.-I]
DEEPAK DAS, Director

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :—** 5500–175–9000 रु. के वेतनमान में ऐसा आशुलिपिक श्रेणी–I जिसमें उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1 :**—इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को ऐसे विद्यमान पदधारी जिन्होंने आशुलिपिक श्रेणी–I के पद पर नियमित आधार पर उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण 2 :**—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 2 वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति :**—ऐसे केन्द्रीय सरकार के अधिकारी— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 5500–175–9000 रुपये के या समतुल्य वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; (ख) जिनके पास आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट गति है। **नोट:**—(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होगें। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित होंगे :— 1. सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड —अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक (कार्मिक) —सदस्य 3. निदेशक/उप-सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II. खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 17-10-1992 को सा.का.नि. 471 दिनांक 21-9-1992 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

[फा. सं. सी स वि मं/01/63/2001-जीई-I]

दीपक दास, निदेशक

PS (k) (14)

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II—SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page No. 2283—2286

Dated 26-10-2002

अधिसूचना

सड़क परिवाहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(सीमा सड़क विकास बोर्ड)

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2002

सा. का. नि. 435.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और साधारण केंद्रीय सेवा, ज्येष्ठ निजी सहायक, समूह ''ख'' (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1992 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है सीमा सड़क संगठन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में ज्येष्ठ निजी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सड़क संगठन (ज्येष्ठ निजी सहायक) भर्ती नियम, 2002 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पैंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ निजी सहायक	15* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ''ख'' राजपत्रित अननुसचिवीय	6500-200-10500/- रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

Amendment to PS. (14-A)

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page No. 550

Dated 1-3-2003

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सीमा सड़क विकास मंडल)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2003

सा.का.नि. 97.—संलग्न अनुसूची में भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (i) तारीख 3 सितम्बर, 2002 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 435 तारीख 16 अक्तूबर, 2002 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :—

(I) पृष्ठ 2 के कालम 11 पंक्ति 8 में—	''पदोन्नति द्वारा'' **के स्थान पर** ''पदोन्नति न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा'' **पढ़ें।**
(II) पृष्ठ 2 कालम 12 के भाग (क) के (II) पंक्ति 21 में—	''वेतनमान रु. 5500-175-9000 में 3 वर्ष की नियमित सेवा या समकक्ष'' के **स्थान पर** ''वेतनमान 5500—9000 में नियमित आधार पर उस ग्रेड में 3 साल की सेवा जिस पर नियुक्ति के पश्चात् सेवा की हो या मूल संवर्ग/प्रतिनियुक्ति में समकक्ष'' **पढ़ें।**

[फा. सं.-बी आर डी बी/01/63/2000/जी.ई.-I]

दीपक दास, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Border Roads Development Board)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th February, 2003

G.S.R. 97. —In the Schedule attached to the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number GSR 435 dated 16th October, 2002, published in the Gzette of India, Part II, Section 3 Sub Section (i) the following amendments are made :—

(i) On page 4 under column 11 (In line 5)	**For**	"By promotion"
	Read	"Promotion failing which by deputation"
(ii) On page 4 under column 12 at a (ii) (In line 36)	**For**	"with 3 years regular service in the pay scale of Rs. 5500-175-9000 or equivalent".
	Read	"with 3 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre/deputation".

[F. No. BRDB/01/63/2000/GE-I]

DEEPAK DAS, Director.

[illegible] 10500 [illegible] 13500 – [illegible] 800 – [illegible] 1600

[illegible] 4800

8707 487496/
8826798792/[illegible]